उत्तराखण्ड शासन

पंचायतीराज अनुभाग–01

विज्ञप्ति/संशोधन

18 फरवरी, 2025 ई0

संख्या–276289/XII(1)/2025/86(20)2017/ई-16706–उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की सुसंगत धाराओं के अधीन विहित प्राधिकारी घोषित किये जाने हेतु निर्गत शासन की विज्ञप्ति संख्या–912/XII(1)/2017/86(20)/2017, दिनांक 09.06.2017 के परिशिष्ट के क्रमांक–3, क्रमांक–13, क्रमांक–16 में संशोधन करते हुए प्रतिनिहित अधिकारियों को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र.सं.	अधिनियम की धारा	पदाधिकारी	अनर्हता घोषित करने वाले प्राधिकारी	अपीलीय विहित प्राधिकारी
1.	धारा–8 (5)	सदस्य–ग्राम पंचायत	खंड विकास अधिकारी	उप जिलाधिकारी
		प्रधान/उप प्रधान–ग्राम पंचायत	उप जिलाधिकारी	मुख्य विकास अधिकारी
2.	धारा–53 (5)	सदस्य–क्षेत्र पंचायत	मुख्य विकास अधिकारी	जिलाधिकारी
		प्रमुख/उप प्रमुख–ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ उप प्रमुख–क्षेत्र पंचायत	मुख्य विकास अधिकारी	जिलाधिकारी
3.	धारा–90 (5)	सदस्य–जिला पंचायत	मुख्य विकास अधिकारी	मण्डलायुक्त
		अध्यक्ष/उपाध्यक्ष–जिला पंचायत	जिलाधिकारी	मण्डलायुक्त

2. उक्त संदर्भित विज्ञप्ति संख्या– 912, दिनांक 09.06.2017 इस सीमा तक संशोधित समझी जाय।

आज्ञा से,

चन्द्रेश कुमार,

सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 26–04–2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 16 पंचायतीराज/244–09–06–2025–100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)